

चेतावनी नहीं तो झेलनी होगी विभागीय कार्रवाई

ट्रैफिक नियमों का पालन न करनेवाले पुलिसकर्मी आ जायें बाज

राष्ट्रीय खबर
रांची: राजधानी रांची को सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब आम लोगों के साथ ही पुलिस कर्मियों को भी भारी पड़ेगा। आम लोगों के नियमों को तोड़ने पर चालान कटाया जाता है या फिर उनके बाहन जब किये जाते हैं। अगर अब कोई भी पुलिसकर्मी यातायात नियमों का मजाक उड़ाता पाया जाता है तो कार्रवाई तो झेलनी ही होगी, साथ ही, विभागीय कार्रवाई के लिए भी उसे तैयार रहना पड़ेगा। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिंहा ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है।

आदेश में एसएसपी ने कहा कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि



रांची जिला में पदस्थापित या कर्मी बाहन का उपयोग करते हैं। जो समय यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। वाहन

उपयोग करते समय हेलमेट, सीट बेल्ट, इत्यादि उपयोग नहीं करते हैं। अब जन में पुलिस कर्मियों की खेती कर अपनी आपदनी को बढ़ावा देना काम किया है। बास में बास अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इन्हें शिया सहित आस-पास के कई देश बांस से अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं। बांस से चारकल का निर्माण से देश ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसमें कोयला तथा लकड़ी से अधिक ऊर्जा होती है। उक्त बांस से अधिक ऊर्जा देने की ओर यातायात नियमों के अनुसार जुर्माना के अलावे दोषी कर्मी के विश्वदृष्टि विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

6 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध करेंगे आदिवासी संगठन

रांची: केंद्रीय धूमकुड़िया करम टीली में आदिवासी समन्वय समिति के तत्वावादान में देव कुमार धान, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव, नारायण उरांव समेत दुआरा उरांव ने शुक्रवार को संगठिताता सम्मेलन किया। इस द्वारान उहोंने कहा कि भाजपा की सरकार का शुरू से ही देश में यूरोपी सारों का एक देश एक राज्य कानून लाने का प्रयाप हो रहा है। केंद्र सरकार आदिवासियों के मूल अधिकारों को समाप्त करना चाही है। राज्य में सीएनटी-एसपीटी एक्ट, पांचवीं छठवीं अनुसूती लागू है। लेकिन सरकार देश में जबरदस्ती समान सिविल कोड लागू करना चाही है। आने वाले 2024 के द्वनाव में भाजपा को गही से उतारने का प्रयास किया जाएगा।

रांची जिला समेत संथाल परगना इलाकों में अवैध खनन और मनी लॉन्डिंग करने से जुड़े केस में रांची प्रीवेशन आफ मनी लॉन्डिंग एक्ट की विशेष कार्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को इडी के गवाह का बयान खत्म हो गया। विजय हांसदा ने कोट में अपने बयान में कहा कि मैंने सारों कागज में हस्ताक्षर किया है, और यह मैंने इसलिए किया क्योंकि मुंगरा यादव और अंग्रेज यादव ने मुझे धमकी दी थी और दबाव बनाया था। विजय हांसदा ने आज बचाव पक्ष के द्वारा क्रांत केस में विशेष लॉक कार्ट में उपस्थित हो गया। इडी की ओर से विशेष लॉक कार्ट में उपस्थित हो गया। एक दिन बाद अंग्रेजों की बातों के बावजूद रहे। प्रेम प्रकाश की तरफ से अधिकारी विक्रांत सिंहा और सिंह ने बहस की। वहीं भरत प्रसाद की ओर से अधिकारी पी डी सिंह ने सिंह को इंतजार है। नीरज

नीरज मितल और राम प्रकाश भाटिया की बेल पर सुनवाई पूरी



रांची: साहेबगंज समेत संथाल परगना इलाकों में अवैध खनन और मनी लॉन्डिंग करने से जुड़े केस में रांची प्रीवेशन आफ मनी लॉन्डिंग एक्ट की विशेष कार्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को इडी के गवाह का बयान खत्म हो गया। विजय हांसदा ने कोट में अपने बयान में हस्ताक्षर किया है, और यह मैंने इसलिए किया क्योंकि मुंगरा यादव और अंग्रेज यादव ने मुझे धमकी दी थी और दबाव बनाया था। विजय हांसदा ने आज बचाव पक्ष के द्वारा क्रांत केस में विशेष लॉक कार्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार की सुनवाई के द्वारा कुमार ऊर्जा कोट में उपस्थित हो गया, जिसके बाद अंग्रेजों की बातों के बावजूद रहे। प्रेम प्रकाश की तरफ से अधिकारी विक्रांत सिंहा और सिंह ने सिंह को फैसला सुनाएगा।

भरत प्रसाद की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में 18 सितंबर को होगी सुनवाई



रांची: लैंड स्कैम के भरत प्रसाद की जमानत याचिका पर रांची प्रीवेशन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट की विशेष कार्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में प्रार्थी के अधिवक्ता अंग्रेज के लिए समय देने का आग्रह किया गया। जिसके बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है सेना

के कब्जे वाली भूमि और रांची के चेशेवर होम रोड स्थित भूमि की फर्जी कागजात के सहारे भूमि की खरीद-बिक्री करने से जुड़े इस केस में विशेष अंग्रेज यादव, प्रेम प्रकाश और राजेश राय समेत कई लोग अगरेपा हैं। ईडी की ओर से विशेष अधिवोजक आतिश कुमार कार्ट में उपस्थित हो गया। एक दिन बाद अंग्रेजों की बातों के बावजूद रहे। प्रेम प्रकाश की तरफ से अधिकारी विक्रांत सिंहा और सिंह ने सिंह को इंतजार है। नीरज

सदर थाना ने रखे हैं अपराधियों से बरामद 2 करोड़, 57 लाख, कोर्ट ने कहा, 2 हजार के नोट अवैध होने से पहले बदल दें



रांची: रांची के सदर थाना में अराधियों से जब किये गये 2 करोड़ 57 लाख रुपए जमा हैं। यह पूरी राशि दो -दो हजार के नोटों के रूप में एक बड़े बैग के बज्जे में ताता लगाकर रखी गयी है और ताले की चाची केस के अनुसंधानकर्ता (IO) के पास है। केस के सुचक ने कोर्ट से आग्रह किया है कि दो हजार के नोटों के बज्जे में बाबरी लगाने से पहले जब किये गये तो वह बेकर हो जायेगा। स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सदर थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि दो हजार के नोटों पर यांत्रिक अवैधता को निर्देश करना चाहिए।

गये 2 करोड़ 57 लाख रुपए को बदल दिया जाये दिसंबर अंत तक 2019 में एसबीआई और यूबीआई की 20 अलग-अलग एसीएम में

एसआइएस कर्मियों को 4107 करोड़ रुपये डालने का जिम्मा मिला था। लेकिन पूरी घटनाक्रिया के साथ सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों ने नौ से 15 दिसंबर के बीच चार कोरोड़ से अधिक बैंकों की राशि का गबन कर लिया। पैसे गबन करने के बाद एजेंसी के सुरक्षाकर्मी फरार हो गये, जिसके बाद एसीएस में डाली जाने वाली कैश का अंडिट एसआइएस के अधिकारियों ने किया, तब पता चला कि बैंकों की ओर से दो गयी पूरी रकम एसीएस में डाली ही नहीं गयी है इसके बाद कंपनी के पास है।

बांस जैव ईंधन के मामले में बेहतर साबित हो रहा : संजीव

रांची: सेल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र इस्पात भवन में राष्ट्रीय सेमिनार बायोस 2023 का आयोजन किया गया है। आयोजन के पहले दिन बांस जो कि धास की श्रेणी में सर्वोत्तम उत्पाद है, पर बताया गया कि वह जैव ईंधन के मामले में बेहतर साबित हो रहा है।



उहोंने ग्रामीण भारत में स्विटिकाउ बांस आधारित उद्यम स्थापित करने में काम किया है। उहोंने बताया कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर होती है। जहां गने में एक बोर्ड बैटरी का उपयोग आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें, यदि दिये गये निर्देश का अनुसार नहीं जाता है। वहीं बांस के अनुसार जुर्माना के अलावा दोषी कर्मी के विश्वदृष्टि विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

नारेंद्र नाथ सिन्हा, आरएंडडी सेल के कार्यपालक निदेशक (प्रभारी) निर्भीक बन्जी, संदीप कुमार कर, कार्यपालक निदेशक एवं आईआईएबी (आईआईएबी) की ओर से डॉ सुजोय रघुवर सहित भारत एवं पर्यावरणविवर तथा सेल, ईसीएआर, आईआईटी, आईआईएम, जेपन्यू व कृषि से जुड़े संस्थान शामिल रहे।

फरार चल रहे दाहु यादव के पिता पशुपति यादव को हाईकोर्ट से मिली बेल

रांची: पांच दिनों के बाद दाहु यादव के पिता पशुपति यादव को हाईकोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। वह पिछले लगभग छह महीने से व्यावधान में है। रांची पीएमएलए (प्रीवेशन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट) के विवेक कोर्ट ने पशुपति यादव के खिलाफ भाजपा की इसी वर्ष 21 अप्रैल को गिरफतार किया गया था। इससे पहले जारी द्वारा दिनों की गतिशीलता देखी गयी है। इंडी कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद रघुवर को पुलिस की टीम ने कुर्की-जब्बी की कार्रवाई की थी।



रांची: साहेबगंज समेत संथाल परगना इलाकों में अवैध खनन और मनी लॉन्डिंग करने से जुड़े केस में रांची प्रीवेशन आफ